

सेवा में,
अंचल अधिकारी
चाकोलगा

उपस्थित :- अंचल विशिष्टक
चाकोलगा

विषय :- सीमांकन वाद सं० - 6/2023-24 के आलोक
में आवेदक मनीहर शर्मा के सीमांकन आवेदन
का प्रतिक्रिया ।

प्रस्ताव :- मर्यादा द्वारा दिये गए विवरण ।

महोदय,

आदेशानुसार, उपरोक्त विषयक संबंधित माँगा
कोकडीशाल, थाना न० - 345, खाला न० - 70, खेसथ न० -
20, 21 इत्यादि कुल 29 1/2 ई० जमीन का अंचल कार्यालय
सीमांकन वाद सं० - 6/2023-24 के आलोक में निर्धारित
तिथि दिनांक - 23/08/2023 को आवेदित खाल पंहुचका
आवेदन, चौकरीदार तथा ग्रामिणों की उपस्थिति में
खाल स्वयं 1960-61 ई० की फाइनल नक्शा की ब्यापक
नक्शा के साथ सरजमीन मिलाव करते हुए तथा
खाली गडु जमीन की दलिल के वणीर चौकरी
अनुसार खेसथ न०, 20, 21/अंश पर चारा लीमा पर
मापी कार के मिलाव किया तथा लीमा पर मिशान
दिया गया । आवेदित पंहुचका चौकरीदार क्षेत्र
कुछा है जिसके पुत्र विद्या के विवाद चल रहा था
जिसके आधा अंश तक चौकरीदार विवाद क्षेत्र कुछा
है कुछ अंश पर खाली है जिस पर विवाद था
जिस पर आवेदक द्वारा 20' लम्बाई में एक फिट
चौड़ाई के चौकरीदार अभिमत जहा का अंश

seen.

for

दिवाल के लागिल कर लिया था जिसके दोनों
 पक्षों कि आपसी सहमति से उत्तर दिया (सबूत
 किनारे एक फिट चौड़ाई के चौकीदार अंकित मिला
 का हार्ड दिया जिसके आवेदक मगर शरत का
 सड्डू बिशा के 88' फिट तथा वर्तमान इन 'फिट
 पर निशान दिया गया जिसके दोनों पक्षों लिक्कार
 किया तथा सीमापर सिमेंट पिलार गाड़वा दिया गया।
 सीमांकन शांति पुण समाप्त हुआ। किसी के द्वारा
 किसी प्रकार वाधा या आपत्ति नहीं किया।
 इस प्रतिवेदन के साथ एक प्रति इस नर्सस जिसपर परिभाष
 तथा आवेदित बायें के रंग देकर देखाया गया तथा सीमांकन
 उपशान्त लिया गया पंचनामा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न
 किया गया।

यह प्रतिवेदन आपसी सहमति के साथ समीत।

आपका विश्वासनाम
 अंचल अमीन
 चमरेन्दु महरा
 24/8/2023